



Neutral Citation No. - 2026:AHC:64565

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट टैक्स क्रमांक - 1821 वर्ष 2026

मेसर्स बंसल उद्योग

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: सुयश अग्रवाल

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 38

माननीय न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ

माननीय न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री सुयश अग्रवाल की ओर से अधिवक्ता श्री सुमीत मिश्रा और राज्य प्रतिवादियों के लिए स्थायी अधिवक्ता की दलीलें सुनी गईं।

2. याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित मुख्य प्रार्थनाओं के साथ यह रिट याचिका दायर की है:

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



“(i) प्रतिवादी संख्या 2 और 3 द्वारा दिनांक 30.11.2021/27.12.2021 को क्रमशः धारा 130 और धारा 122 के तहत पारित आदेश को रद्द करने हेतु सर्टिओरारी प्रकृति का रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।(अनुलग्नक - 3)

(ii) प्रतिवादी संख्या 2 को दिनांक 30.11.2021/27.12.2021 को पारित आदेश को लागू करने से रोकने हेतु निषेध प्रकृति का रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा धारा 130 और धारा 122 के तहत पारित आदेश।”

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा करते हुए (i) मेसर्स मेटेनेरे लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य; रिट कर संख्या 360 वर्ष 2020, (ii) मेसर्स मां महामाया अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य; रिट कर संख्या 31 वर्ष 2021, (iii) मेसर्स दयाल प्रोडक्ट बनाम अतिरिक्त आयुक्त श्रेणी-2 और अन्य; रिट कर संख्या 1319 वर्ष 2024, (iv) अतिरिक्त आयुक्त श्रेणी-2 और अन्य बनाम मेसर्स दयाल प्रोडक्ट ; एसएलपी (सी) डायरी संख्या 44119 वर्ष 2025, (v) अतिरिक्त आयुक्त श्रेणी-2 और अन्य बनाम मेसर्स श्री ओम स्टील्स; एसएलपी (सी) डायरी संख्या 1968 वर्ष 2025 (vi) अतिरिक्त आयुक्त ग्रेड-2 (अपील) और अन्य बनाम श्री दिनेश कुमार प्रदीप कुमार; एसएलपी (सी) डायरी संख्या 5879 वर्ष 2025 में निवेदन किया गया है कि उत्तर प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे आगे 'अधिनियम, 2017' कहा गया है) की धारा 130 के तहत नोटिस अधिनियम, 2017 की धारा 35 के कथित उल्लंघन के लिए जारी नहीं किया जा सकता है।

4. उन्होंने आगे मेसर्स मां महामाया अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में दिए गए फैसले पर भरोसा करते हुए यह तर्क दिया कि अधिनियम, 2017 की धारा 130 के तहत नोटिस

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तभी जारी किया जा सकता है, जब कर भुगतान की देयता विभाग द्वारा अधिनियम, 2017 की धारा 73 या 74 के तहत निर्धारित की गई हो।

5. तीसरा, उनका निवेदन है कि दिनांक 30.11.2021 और दिनांक 27.12.2021 के आदेश के विरुद्ध यह रिट याचिका विचारणीय है, क्योंकि यह निवेदन अधिकार क्षेत्र के बिना जारी की गई है। उनका यह भी निवेदन है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का **व्हालपूल कॉर्पोरेशन बनाम रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड मार्क्स, मुंबई और अन्य (1998) 8 एससीसी 1** का निर्णय इस मामले में लागू होगा और याचिकाकर्ता अपवादों के अंतर्गत आता है क्योंकि कारण बताओ नोटिस निवेदन अधिकार क्षेत्र के बिना जारी किया गया है।

6. वह अपने तर्कों को पुष्ट करने के लिए **सीमेंस लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2006) 12 एससीसी 33** और एचसीएल इन्फोटेक लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक कर आयुक्त और अन्य; रिट कर संख्या 1396/2024 में दिए गए निर्णयों पर भी भरोसा करते हैं।

7. हालांकि, हमारा मानना है कि चूंकि अधिनियम, 2017 की धारा 73/74 के तहत कर निर्धारण के बिना अधिनियम, 2017 की धारा 130 के तहत कार्यवाही शुरू करने के संबंध में कानून अब कोई नया मुद्दा नहीं रह गया है, इसलिए अधिनियम, 2017 की धारा 122 के साथ धारा 130 के तहत जारी किया गया वर्तमान कारण बताओ नोटिस अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

8. यह मानते हुए कि दिनांक 30.11.2021 और डीआरएल-07 27.12.2021 का आदेश क्षेत्राधिकार के बिना जारी किया गया है, हम उक्त मामले में हस्तक्षेप करने और क्षेत्राधिकार के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए बाध्य हैं।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णयों का अवलोकन करने पर, हम स्पष्ट रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अधिनियम, 2017 की धारा 130 के तहत जारी किया गया वर्तमान आदेश अधिनियम, 2017 की धारा 35 के कथित उल्लंघन में जारी नहीं किया जा सकता है और विभाग द्वारा शुरू की गई कार्यवाही तदनुसार किसी भी अधिकार क्षेत्र और कानून के विरुद्ध है।

10. स्थापित स्थिति के आलोक में, हम दिनांक 30.11.2021 और दिनांक 27.12.2021 के विवादित आदेश को रद्द करते हैं। विभाग को अधिनियम, 2017 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करके याचिकाकर्ता के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही करने की स्वतंत्रता होगी।

11. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, इस रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार) (न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ)

28 मार्च, 2026

आशुतोष पांडे

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।